न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 05 / 2023

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. कलावती पत्नी प्रेमाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कौशल्या पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. निर्मला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजकला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिश चन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सुभाषचन्द्र पुत्र हरिश चन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सुशील कुमार पुत्र हरिश चन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74 / 73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण सींव व डोल से संबधित विवाद बना रहता है तथा आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है इसलिए लड़ाई झगड़ा व विवाद को टालने की तर्ज से मुताबिक हक हिस्सा व वाद भूमि की अच्छी व माडी किस्म के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

मुश्तरका खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा होता है गैरसायलान जो की तेज तर्रार है अच्छी किस्म की भूमि हरियाणा के साथ लगती भूमि पर काबिज होकर बेचान करना चाहते है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी बाद में सिकी भी सूरत में पूर्ती नही हो सकेगी। इसलिए रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74 / 73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की गैरसायलान उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व लगान अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि को रहन, बेय व मुन्तकिल न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1, 5 ता 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है गैरसायलान द्वारा सायल के हक हिस्से को नही बेचा जा रहा है। सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायलान अच्छी किस्म की भूमि हरियाणा के साथ लगती भूमि पर काबिज होकर बेचान करना चाहते है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी बाद में सिकी भी सूरत में पूर्ती नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की वाद भूमि मुश्तरका है मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है गैरसायलान द्वारा सायल के हक हिस्से को नही बेचा जा रहा है। सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व [illegible] लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद [illegible] सबूतों के आधार पर तय होना है। अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व [illegible] व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खा[illegible] में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.01.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:28 IST
Reason: SelfAttested